14-10-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित पक्षकारान के मध्य राजीनामा होने से बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन बादवादी स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाये जाने के उपरान्त अन्तिम डिक्री जारी की गई। शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 280 / 2019

1 दिनेश पूनियां पुत्र श्री आत्माराम जाति जाट निवासी चक 21 एन.डी.आर. चोहिलांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – वादी

–:: बनाम ::–

1 आत्माराम पि.मु. धर्माराम जाति जाट निवासी चक 21 एन.डी.आर. चोहिलांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2 रेणू } पुत्रीयान श्री आत्माराम जाति जाट निवासी चक 21 एन.डी.आर.
3 कविता } तहसील व जिला हनुमानगढ़।

4 विद्यादेवी धर्मपत्नी श्री आत्माराम जाति जाट निवासी चक 21 एन.डी.आर. चोहिलांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री विनोद पारिक अधिवक्ता वादी
2. श्री गुरमोहन अधिवक्ता प्रतिवादीगण

दिनांक :– 14-10-2019

–:: निर्णय ::–

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादी के दादा स्वर्गीय श्री धर्माराम पुत्र श्री नोपाराम के नाम चक 21 एन.डी.आर. के खाता संख्या 3/2 के पत्थर नम्बर 128/350 मुरब्बा नम्बर 33 किला नम्बर 16 ता 25 तादादी 2.530 हैक्टर, पत्थर नम्बर 125/351 मुरब्बा नम्बर 39 किला नम्बर 15 व 16 तादादी 0.506 हैक्टर, पत्थर नम्बर 126/351 मुरबा नम्बर 40 किला नम्बर 1 ता 10 तादादी 2.530 हैक्टर, पत्थर नम्बर 128/352 मुरब्बा नम्बर 43 किला नम्बर 11 ता 25 तादादी 3.795 हैक्टर, पत्थर नम्बर 126/352 मुरब्बा नम्बर 45 किला नम्बर 6, 15, 16, 24 तादादी 1.012 हैक्टर कुल तादादी 10.373 हैक्टर कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है।

स्वर्गीय श्री धर्माराम के देहान्तोपरांत उनके एकमात्र वारिस प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादी के पिता है, को उक्त कृषि भूमि विरास्तन औद हुई। वादी सहदायिक होने के कारण उक्त कृषि भूमि में वादी का जन्मतः ही हक व हिस्सा है। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को उसके पिता स्व. श्री धर्माराम से प्राप्त शुदा है। वादी की शादी अर्सा डेढ़ वर्ष पूर्व हुई थी। शादी के उपरांत वादी की धर्मपत्नी व वादी की माता प्रतिवादी संख्या 4 के मध्य मतभेद रहने लगे तथा छोटी छोटी बातों पर तकरार होने पर परिवार के मौजिज व्यक्तियों द्वारा वादी व प्रतिवादीगण के मध्य उक्त सम्पति का घरू बंटवारा कर दिया तथा वादी को अलग कर दिया। उक्त बंटवारा में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि में से चक 21 एन.डी.आर. तहसील हनुमानगढ़ के पत्थर नम्बर 128/350 मुरब्बा नम्बर 33 किला नम्बर 16 ता 25 तादादी 2.530 हैक्टर, पत्थर नम्बर 126/352 मुरब्बा नम्बर 45 किला नम्बर 6, 15, 16, 24 तादादी 1.012 हैक्टर कुल तादादी 3.542 हैक्टेयर कृषि भूमि अर्थात 14 बीघा कृषि भूमि वादी को प्राप्त हुई। चूंकि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 जो कि वादी की हकीकी बहनें हैं, ने भी उक्त बंटवारा में सहमति प्रदान की थी। इस प्रकार मुताबिक घराघरू बंटवारा में वर्णित खाता की कृषि भूमि तादादी 3.542 हैक्टर कृषि भूमि वादी के आधिपत्य व धारण में चली आ रही है।

लगातार 2

सहायक कलक्टर
उपखण्डाधिकारी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

लेकिन उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त राजस्व अभिलेख में उक्त कृषि भूमि वादी के नाम अमल दरामद नहीं होने से वादी के हक व हकूकों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है इस कारण प्रश्नगत आराजी चक 21 एन.डी.आर. तहसील हनुमानगढ़ के पत्थर नम्बर 128/350 मुरब्बा नम्बर 33 किला नम्बर 16 ता 25 तादादी 2.530 हैक्टर, पत्थर नम्बर 126/352 मुरब्बा नम्बर 45 किला नम्बर 6, 15, 16, 24 तादादी 1.012 हैक्टर कुल तादादी 3.542 हैक्टर कृषि भूमि का एकल खातेदार है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाना चाहता है।

वादी एवं प्रतिवादीगण ने उक्त पैतृक सम्पत्ति के सम्बंध में परिवार के मध्य लागु उक्त घरू बंटवारा को हमेशा स्वीकार एवं अंगीकार किया है लेकिन अब गत एक माह से प्रतिवादी संख्या–1 वादी को घराघरू बंटवारा में प्राप्त उक्त भूमि से वंचित करने की धमकी दी जा रही है तथा कृषि भूमि के भावों में बढ़ौतरी होने लालचवश प्रतिवादीगण चक 21 एन.डी.आर. के उक्त खाता में वर्णित अपनें नाम की भूमि को दीगर व्यक्तियों को बैय व मुन्तकिल करने की फिराक में है। वादी ने इस घरू बंटवारा को सदैव स्वीकार एवं अंगीकार किया है तथा इस घरू बंटवारा के अनुसरण में आचरण व व्यवहार किया है। यदि प्रतिवादीगण उक्त घरू बंटवारा के विपरित विपरीत प्रश्नगत भूमि जो मुझ वादी को बंटवारा में प्राप्त हुई है, को बैय व मुन्तकिल कर देते हैं तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। इन परिस्थितियों में वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी व दावेदार है कि वे वादग्रस्त आराजी चक 21 एन.डी.आर. के खाता संख्या 3/2 के पत्थर नम्बर 128/350 मुरब्बा नम्बर 33 किला नम्बर 16 ता 25 तादादी 2,530 हैक्टर, पत्थर नम्बर 125/351 मुरब्बा नम्बर 39 किला नम्बर 15 व 16 तादादी 0.506 हैक्टर, पत्थर नम्बर 126/351 मुरब्बा नम्बर 40 किला नम्बर 1 ता 10 तादादी 2.530 हैक्टर, पत्थर नम्बर 128/352 मुरब्बा नम्बर 43 किला नम्बर 11 ता 25 तादादी 3.795 हैक्टर, पत्थर नम्बर 126/352 मुरब्बा नम्बर 45 किला नम्बर 6, 15, 16, 24 तादादी 1.012 हैक्टर कुल तादादी 10.373 हैक्टर कृषि भूमि को किसी से बैय व मुन्तकिल नहीं करे।

वादी ने प्रतिवादीगण से अर्सा एक सप्ताह पूर्व निवेदन किया कि वे घरू बंटवारा में वादी को प्राप्त चक 21 एन.डी.आर. के खाता संख्या 3/2 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 10.373 हैक्टर कृषि भूमि में से 3.542 हैक्टर कृषि भूमि वादी के नाम करवा देवे तथा उक्त कृषि भूमि को किसी प्रकार से रहन, बैय व मुन्तकिल नहीं करे तो वे ऐसा मानने से इन्कार हो गये। यही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पत्र वादी माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है जो उचित न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः वाद पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्नलिखित तरीका से डिक्री फरमाया जावे :–

(क) घोषणा फरमायी जावे कि वादी चक 21 एन.डी.आर. तहसील हनुमानगढ़ के पत्थर नम्बर 128/350 मुरब्बा नम्बर 33 किला नम्बर 16 ता 25 तादादी 2.530 हैक्टर, पत्थर नम्बर 126/352 मुरब्बा नम्बर 45 किला नम्बर 6, 15, 16, 24 तादादी 1.012 हैक्टर कुल तादादी 3.542 हैक्टेयर कृषि भूमि अर्थात 14 बीघा कृषि भूमि का एकल खातेदार है व इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने का अधिकारी व दावेदार है।

(ख) स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमायी जावे कि वे चक 21 एन.डी.आर. के खाता संख्या 3/2 के पत्थर नम्बर 128/350 मुरब्बा नम्बर 33 किला नम्बर 16 ता 25 तादादी 2.530 हैक्टर, पत्थर नम्बर 125/351 मुरब्बा नम्बर 39 किला नम्बर 15 व 16 तादादी 0.506 हैक्टर, पत्थर नम्बर 126/351 मुरब्बा नम्बर

लगातार 3

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी

Scanned by CamScanner

40 किला नम्बर 1 ता 10 तादादी 2.530 हैक्टर, पत्थर नम्बर 128/352 मुरब्बा नम्बर 43 किला नम्बर 11 ता 25 तादादी 3.795 हैक्टर, पत्थर नम्बर 126/352 मुरब्बा नम्बर 45 किला नम्बर 6, 15, 16, 21 तादादी 1.012 हैक्टर कुल तादादी 10.373 हैक्टर कृषि भूमि को किसी से बैय व मुन्तकिल नहीं करे।

(ग) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

(घ) अन्य कोई दादरसी करीने इन्साफ हो तो अता फरमाई जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 10.10.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये गये। उभयपक्ष की पहचान उनके अधिवक्तागणों द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि वादी एवं प्रतिवादीगण परस्पर एक ही परिवार के सदस्य हैं। वादी द्वारा उक्त वाद पत्र खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं शाश्वत व्यादेश हेतु प्रस्तुत किया कि वादी के दादा स्वर्गीय श्री धर्माराम पुत्र श्री नोपाराम के नाम चक 21 एन.डी.आर. के खाता संख्या 3/2 के पत्थर नम्बर 128/350 मुरब्बा नम्बर 33 किला नम्बर 16 ता 25 तादादी 2.530 हैक्टर, पत्थर नम्बर 125/351 मुरब्बा नम्बर 39 किला नम्बर 15 व 16 तादादी 0.506 हैक्टर, पत्थर नम्बर 126/351 मुरब्बा नम्बर 40 किला नम्बर 1 ता 10 तादादी 2.530 हैक्टर, पत्थर नम्बर 128/352 मुरब्बा नम्बर 43 किला नम्बर 11 ता 25 तादादी 3.795 हैक्टर, पत्थर नम्बर 126/352 मुरब्बा नम्बर 45 किला नम्बर 6, 15, 16, 25 तादादी 1.012 हैक्टर कुल तादादी 10.373 हैक्टर कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। स्वर्गीय श्री धर्माराम के देहान्तोपरांत उनके एकमात्र वारिस प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादी के पिता है, को उक्त कृषि भूमि विरास्तन औद हुई। वादी सहदायिक होने के कारण उक्त कृषि भूमि में वादी का जन्मतः ही हक व हिस्सा है। उक्त कषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को उसके पिता स्व श्री धर्माराम से प्राप्त शुदा है। वादी की शादी अर्सा डेढ़ वर्ष पूर्व हुई थी। शादी के उपरांत वादी की धर्मपत्नी व वादी की माता प्रतिवादी संख्या 4 के मध्य मतभेद रहने लगे तथा छोटी छोटी बातों पर तकरार होने पर परिवार के मौजिज व्यक्तियों द्वारा वादी व प्रतिवादीगण के मध्य उक्त सम्पति का घरू बंटवारा कर दिया तथा वादी को अलग कर दिया तथा वादी द्वारा अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु उक्त वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया हुआ है।

चूंकि पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा लोक अदालत की भावना व परिवार के मौजिज सदस्यों की समझाईश से पक्षकारान में राजीनामा हो चुका है। मुताबिक राजीनामा प्रतिवादीया संख्या 2 व 3 जो वादी की हकीकी बहन है, ने उक्त पैतृक सम्पति में से प्राप्त होने वाला अपने समस्त हक व हिस्सा का परित्याग कर दिया है। उक्त कृषि भूमि में वह किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा लेना नहीं चाहती। मुताबिक राजीनामा वादी दिनेश को चक 21 एन.डी.आर. तहसील हनुमानगढ़ के पत्थर नम्बर 128/352 मुरब्बा नम्बर 43 किला नम्बर 11 ता 25 तादादी 15 बीघा का खातेदार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादीया संख्या 4 विद्यादेवी जो वादी की माता है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की धर्मपत्नि है, को चक 21 एन.डी.आर. के पत्थर नम्बर 128/350 मुरब्बा नम्बर 33 के किला नम्बर 16 ता 25 तादादी 10 बीघा का खातेदार घोषित किया जाता है व इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया जावे। पक्षकारान मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री करवाने हेतु सहमत है। पक्षकारान ने आपसी सहमति व अपने विवेक से यह राजीनामा निष्पादित कर दिया है। अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि मुताबिक राजीनामा वाद पत्र निर्णित किया जाकर फैसला शुमार फरमाया जावे।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

लगातार 4

Scanned by CamScanner

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं होनें से साक्ष्य वादी लिये जाकर विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया। इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 38, 39, 40, 53, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर. डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृपकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरुप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखा धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221–22 के अनुसार सयुक्त परिवार की सम्पति पर भी पुत्र पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पति को भी संयुक्त परिवार की सम्पति में शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पति की श्रेणी में आती है। जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवम् बंटवारा करवा सकता है। अपनें कथनों की पुष्टि हेतु आर.आर.डी. 1981 के पेज 512 एवम् आर.आर.डी. 1978 पेज 375 (एच.सी.) पेश किये।

आर.आर.डी. 2008 पेज 481 की नजीर पेश कर कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 3 अपनें पति के जीवित रहते हुए पुत्रों द्वारा पैतृक सम्पत्ति के बराबर विभाजन की मांग करनें पर उसे भी पुत्रों के वरावर हिस्से की मांग की है, जो प्रिसिपल आफ हिन्दू ला के पैरा 315 के विवेचन एवम् गुरुपत खण्डापा वनाम हीरावाई में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आधार पर अपना हिस्सा प्राप्त करनें की अधिकारिणी है तथा वह अपनें परिवार की पैतृक सम्पत्ति में पति व पुत्रों के वरावर के हिस्से की घोषणा करवानें की अधिकारिणी है। अतः राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय किया जावे।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया वाद अवलोकन पाया कि वादाधीन भूमि उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार जद्दी जायदाद होना स्वीकार होनें के कारण वादी जो कि प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र व प्रतिवादी संख्या 4 जो कि वादी संख्या 1 की पत्नी होनें के कारण उसका पैतृक भूमि में हक हिस्सा होनें से वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

लगातार 5

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्डाधिकारी

Scanned by CamScanner

—:: आदेश ::—

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 21 एन.डी.आर. के खाता संख्या 3/2 के पत्थर नम्बर 128/350 मुरब्बा नम्बर 33 किला नम्बर 16 ता 25 तादादी 2.530 हैक्टर, पत्थर नम्बर 125/351 मुरब्बा नम्बर 39 किला नम्बर 15 व 16 तादादी 0.506 हैक्टर, पत्थर नम्बर 126/351 मुरब्बा नम्बर 40 किला नम्बर 1 ता 10 तादादी 2.530 हैक्टर, पत्थर नम्बर 128/352 मुरब्बा नम्बर 43 किला नम्बर 11 ता 25 तादादी 3.795 हैक्टर, पत्थर नम्बर 126/352 मुरब्बा नम्बर 45 किला नम्बर 6, 15, 16, 24 तादादी 1.012 हैक्टर कुल तादादी 10.373 हैक्टर भूमि में वर्तमान प्रविष्टि "आत्माराम पि.मु. धर्माराम कौम जाट साकिन चौहिलावाली" को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर "वादी दिनेश पूनियां पुत्र श्री आत्माराम जाति जाट निवासी 21 एन.डी.आर. चोहिलावाली को चक 21 एन.डी.आर. तहसील हनुमानगढ़ के पत्थर नम्बर 128/352 मुरब्बा नम्बर 43 किला नम्बर 11 ता 25 तादादी 15 बीघा तथा प्रतिवादी सख्या 4 विद्यादेवी धर्मपत्नी श्री आत्माराम जाति जाट निवासी 21 एन.डी. आर. चोहिलावाली को चक 21 एन.डी.आर. के पत्थर नम्बर 128/350 मुरब्बा नम्बर 33 के किला नम्बर 16 ता 25 तादादी 10 बीघा तथा प्रतिवादी संख्या 1 आत्माराम पि.मु. धर्माराम जाति जाट निवासी 21 एन.डी.आर चौहिलावाली को चक 21 एन.डी.आर. के पत्थर नम्बर 125/351 मुरब्बा नम्बर 39 किला नम्बर 15, 16 तादादी 2 बीघा पत्थर नम्बर 126/351 मुरब्बा नम्बर 40 किला नम्बर 1 ता 10 तादादी 10 बीघा, पत्थर नम्बर 126/352 मुरब्बा नम्बर 45 किला नम्बर 6, 15, 16, 24 तादादी 4 बीघा" भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना—अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 14-10-2019 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 280/2019

1 दिनेश पूनियां पुत्र श्री आत्माराम जाति जाट निवासी चक 21 एन.डी.आर. चोहिलांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – वादी

–:: बनाम ::–

1 आत्माराम पि.मु. धर्माराम जाति जाट निवासी चक 21 एन.डी.आर. चोहिलांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2 रेणू } पुत्रीयान श्री आत्माराम जाति जाट निवासी चक 21 एन.डी.आर. तहसील व
3 कविता } जिला हनुमानगढ़।

4 विद्यादेवी धर्मपत्नी श्री आत्माराम जाति जाट निवासी चक 21 एन.डी.आर. चोहिलांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :– 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय दिनांक :– 14-10-2019

वादी की और से श्री विनोद पारिक अधिवक्ता, प्रतिवादीगण की और श्री गुरमोहन अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक 14-10-2019 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 21 एन.डी. आर. के खाता संख्या 3/2 के पत्थर नम्बर 128/350 मुरब्बा नम्बर 33 किला नम्बर 16 ता 25 तादादी 2,530 हैक्टर, पत्थर नम्बर 125/351 मुरब्बा नम्बर 39 किला नम्बर 15 व 16 तादादी 0.506 हैक्टर, पत्थर नम्बर 126/351 मुरब्बा नम्बर 40 किला नम्बर 1 ता 10 तादादी 2.530 हैक्टर, पत्थर नम्बर 128/352 मुरब्बा नम्बर 43 किला नम्बर 11 ता 25 तादादी 3.795 हैक्टर, पत्थर नम्बर 126/352 मुरब्बा नम्बर 45 किला नम्बर 6, 15, 16, 24 तादादी 1.012 हैक्टर कुल तादादी 10.373 हैक्टर भूमि में वर्तमान प्रविष्टि "आत्माराम पि.मु. धर्माराम कौम जाट साकिन चौहिलावाली" को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर "वादी दिनेश पूनियां पुत्र श्री आत्माराम जाति जाट निवासी 21 एन.डी.आर. चौहिलावाली को चक 21 एन.डी.आर. तहसील हनुमानगढ़ के पत्थर नम्बर 128/352 मुरब्बा नम्बर 43 किला नम्बर 11 ता 25 तादादी 15 बीघा तथा प्रतिवादी सख्या 4 विद्यादेवी धर्मपत्नी श्री आत्माराम जाति जाट निवासी 21 एन.डी.आर. चोहिलावाली को चक 21 एन. डी.आर. के पत्थर नम्बर 128/350 मुरब्बा नम्बर 33 के किला नम्बर 16 ता 25 तादादी 10 बीघा तथा प्रतिवादी संख्या 1 आत्माराम पि.मु. धर्माराम जाति जाट निवासी 21 एन.डी.आर चौहिलावाली को चक 21 एन.डी.आर. के पत्थर नम्बर 125/351 मुरब्बा नम्बर 39 किला नम्बर 15, 16 तादादी 2 बीघा पत्थर नम्बर 126/351 मुरब्बा नम्बर 40 किला नम्बर 1 ता 10 तादादी 10 बीघा, पत्थर नम्बर 126/352 मुरब्बा नम्बर 45 किला नम्बर 6, 15, 16, 24 तादादी 4 बीघा" भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 14-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखंड अधिकारी
हनुमानगढ़

–:: वाद के खर्चे ::–

	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	– –	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –	अर्जी के लिये स्टाम्प	– –
प्रदर्शों के लिये स्टाम्प	– –	प्लीडर की फीस	– –
.... रूपये पर प्लीडर की फीस	– –	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	– –
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	– –	आदेशिका की तामिल	– –
कमिश्नर की फीस			– –

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.12.26 14:30:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: